न्यायालय सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–102/2018 (2018/00472) दर्ज दिनांक 15.10.2020

अन्तर्गत धारा :–53 आर.टी.एक्ट

शीर्षक

...द्दीन वल्द नूर मोहम्मद मुसलमान निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादी

बनाम

1. गुलाब नबी वल्द गफुर अहमद मुसलमान निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. लाल मोहम्मद वल्द गफुर अहमद मुसलमान निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. श्रीमती महमूदा बानू पुत्री गफुर अहमद मुसलमान निवासी वार्ड नं0 06, रायपुर रोड़ गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. श्रीमती मरियम बानू पुत्री गफुर अहमद मुसलमान पत्नी मुनीर मोहम्मद मेवाती निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा हाल मुकाम डाणियों की कोटड़ी तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा।
5. श्रीमती जन्नत बानू पुत्री गफुर अहमद पत्नी सलीम मोहम्मद मुसलमान निवासी आतर मजरा बड़ी सादड़ी तहसील सादड़ी जिला चितौड़गढ़
6. श्रीमती संजिदा बानू पुत्री गफुर अहमद पत्नि जाकिर हुसैन मुसलमान निवासी गंगापुर तसहील सहाड़ा हाल मुकाम डा़णियों की कोटड़ी तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा।
7. लियाकत अली वल्द सत्तार मोहम्मद मुसलमान निवासी वार्ड नं0 15, गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
8. बशीर मोहम्मद वल्द सत्तार मोहम्मद मुसलमान निवासी निवासी वार्ड नं0 15, गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
9. श्रीमती ताहिरा बेगम पुत्री सत्तार मोहम्मद मुसलमान पत्नि अहमद मुसलमान निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा हाल मुकाम दड़ोली तहसील डबोक जिला उदयपुर
10. श्रीमती हसीना बेगम पुत्री सत्तार मोहम्मद पत्नि रफीक मोहम्मद मुसलमान निवासी वार्ड नं0 15 गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा हाल मुकाम बिगोद तहसील जिला भीलवाड़ा।
11. श्रीमती आमना बेगम पुत्री सत्तार मोहम्मद मुसलमान पत्नि मोहिनुदीन मुसलमान निवासी करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।
12. श्रीमती सरीफन बेगम पत्नी सत्तार मोहम्मद मुसलमान निवासी वार्ड नं0 15, गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

––प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2021.11.22 12:30:52 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितिः–

अभिभाषक वादी – श्री जगदीश चन्द्र व्यास

प्रतिवादीगण सं0 01, 02, 07 लगायत 12 – श्री वसीम मोहम्मद पठान

प्रतिवादी संख्या 03,04, 06:– श्री एम0एस0चुण्डावत

प्रतिवादी संख्या 05:– अनुपस्थित

पेरोकार सरकार

Raj

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

:: कार्यवाही अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. ::

:: निर्णय ::

दिनांक 27.08.2021

वादी ने अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट के वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ... पटवार हल्का गंगापुर तहसील सहाड़ा मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक लगायत ... की संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 ... संख्या 140 में अंकित आराजी संख्या 690 रकबा 0.37 हे0, 692 रकबा 0.45 हे0, 700 ... 0.40 हे0, 702 रकबा 0.40 हे0, 703 रकबा 0.46 हे0, 704 रकबा 1.41 हे0 कुल ... 6 कुल रकबा 4.19 हे0 भूमि स्थित है।

... अंकित आराजीयात में मुझ वादी का 1/3 हिस्सा निहित है तथा प्रतिवादी ... एक लगायत 6 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 12 का 1/3 हिस्सा ... रेकार्ड में दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक लगायत 12 अपने – अपने हिस्से ... अलग–अलग काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।

यह कि वाद ग्रस्त आराजी में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व खाता ... में शामलाती दर्ज रेकार्ड है। वे अपने माफिक रेकार्ड हिस्से पर काबिज है लेकिन ... हिस्से को उन्नत बनाने, डवलप करने, लगान का विभाजन करने,तथा कृषि कार्यो में ... परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्णित आराजी में मौके पर कब्जे व हिस्से ... विधिवत रूप से विभाजन कराया जाकर वादी खाते में दर्ज अपने 1/3 हिस्से का ... संयुक्त राजस्व खाता रेवेन्यू रेकार्ड में खोले जाने एवं स्वतंत्र कब्जा दिलाये जाने की ... बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण फरमायी जावें।

अतः सादर प्रार्थना है कि ग्राम गंगापुर पटवार हल्का गंगापुर तहसील सहाड़ा मे वादी ... प्रतिवादी संख्या एक लगायत 12 की संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की ... सम्वत् 2070 से 2073 खाता संख्या 140 में अंकित आराजी संख्या 690 रकबा 0. ... 692 रकबा 0.45 हे0, 700 रकबा 0.40 हे0, 702 रकबा 0.40 हे0, 703 रकबा 0.46 ... 704 रकबा 1.41 हे0 कुल किता 6 कुल रकबा 4.19 हे0 भूमि का मौके पर कब्जे व ... अनुसार विधिवत रूप से विभाजन करवाया जाकर मुझ वादी के निहित 1/3 हिस्से ... स्वतंत्र राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड में खोले जाने की विभाजन की अज्ञाप्ति बहक वादी ... प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे।

प्रकरण विधिवत दिनांक 04.07.2018 दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन ... दिये गये जिसकी अनुपालना जिसकी अनुपालना में प्रतिवादी संख्या 5 बावजूद ... के अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। ... संख्या 13 पैरोकार सरकार ... होना अंकित कर जवाब ... नहीं करने से जवाब देही ब... संख्या 3,4,6 द्वारा प्रतिवाद पत्र ... कर निवेदन किया कि हम ... 1/3 हिस्से मृतक खातेदार ... मोहम्मद के वारिसान होने से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 का है जिससे हम ... का हिस्सा अलग से राजस्व रेकार्ड में दर्ज करा स्वतंत्र खाता खुलवाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2021.11.22 12:30:52 IST
Reason: SelfAttested

2.

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
...पुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

इसी प्रकार प्रतिवादी संया 1,2 तथा प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 12 की ओर से प्रतिवादपत्र काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि वादी का वादपत्र डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है तथा अंकित आराजियात में हम प्रतिवादी संख्या एक व 2 का संयुक्त रूप से 1/9 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 7 लगायत 12 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से का विभाजन मौके पर कब्जे व हिस्से अनुसार स्वतंत्र खाता रेवेन्यु रेकार्ड में खुलवाया जावे।

तदनुसार प्राप्त जवाब व काउन्टर क्लेम पर निम्नानुसार तनकी कायम की गई:–

1. आया की वादी वाके ग्राम सल्यावड़ी वादपत्र कलम संख्या 01 में वर्णित कृषि आराजियात का राजस्व रेकार्ड में अंकित हिस्से व कब्जेनुसार कराने का अधिकारी है।

बजिम्मे वादीगण

2. आया कि प्रतिवादीगण वाद वर्णित कृषि आराजियात में अपने हिस्से एवं कब्जेनुसार विभाजन कराने के अधिकारी है।

बजिम्मे प्रतिवादीगण

3. अनुतोष?

वादी अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य पेश नहीं करके सीधी बहस करनी चाही जिस पर प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने भी सहमती जताई बहस उभयपक्ष सुनी गई अधिवक्तावादी ने अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुये चालु जमाबंदी अनुसार खाते में दर्ज हिस्से व कब्जे के अधार पर वादपत्र स्वीकार करने का अनुरोध किया। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने कब्जे व हिस्सेनुसार वादपत्र स्वीकार करने पर सहमती जाहीर की।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर गौर किया जिससे स्पष्ट होता है कि ग्राम गंगापुर पटवार हल्का गंगापुर तहसील सहाड़ा मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक लगायत 12 की संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 खाता संख्या 140 में अंकित आराजी संख्या 690 रकबा 0.37 हे0, 692 रकबा 0.45 हे0, 700 रकबा 0.40 हे0, 702 रकबा 0.40 हे0, 703 रकबा 0.46 हे0, 704 रकबा 1.41 हे0 कुल किता 6 कुल रकबा 4.19 हे0 भूमि का मौके पर कब्जे व हिस्से अनुसार विधिवत रूप से विभाजन करवाया जाकर वादी के निहित 1/3 हिस्से का प्रतिवादीगण संख्या 3,4,6 के 1/3 हिस्से मृतक खातेदार रजाक मोहम्मद के वारिसान होने से प्रतिवादीगण संख्या 1 से ... है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से 1/9 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 7 लगायत 12 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से ... स्वतंत्र खाता रेवेन्यु रेकार्ड में खोले जाने की विभाजन की अज्ञप्ति ... प्रतिवादीगण के कब्जे एवं हिस्से अनुसार नवीन जमाबंदी को ध्यान में रखते हुए दर्ज ... कराया जाना जाना उचित है अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2021.11.22 12:30:52 IST
Reason: SelfAttested

Rg

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

–: आदेश :–

वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आरटीए का स्वीकार किया जाकर प्राथमिक [illegible] बहकवादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय से जारी की जाती है कि ग्राम गंगापुर [illegible] हल्का गंगापुर तहसील सहाड़ा मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक लगायत 12 की [illegible] खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 खाता [illegible] 140 में अंकित आराजी संख्या 690 रकबा 0.37 हे0, 692 रकबा 0.45 हे0, 700 [illegible] 0.40 हे0, 702 रकबा 0.40 हे0, 703 रकबा 0.46 हे0, 704 रकबा 1.41 हे0 कुल [illegible] 6 कुल रकबा 4.19 हे0 भूमि का मौके पर कब्जे व हिस्से अनुसार विधिवत रूप से [illegible] करवाया जाकर वादी के निहित 1/3 हिस्से का प्रतिवादीगण संख्या 3,4,6 के [illegible] हिस्से मृतक खातेदार रजाक मोहम्मद के वारिसान होने से प्रतिवादीगण संख्या 1 से [illegible] है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से 1/9 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण [illegible] 7 लगायत 12 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से स्वतंत्र राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड में [illegible] जाने की विभाजन की अज्ञाप्ति बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण का स्वतंत्र कब्जा [illegible] जाकर उसका राजस्व खाता राजस्व रेकार्ड में अलग से नवीन जमाबंदी अनुसार [illegible] करते हुये कब्जे एवं हिस्से को ध्यान में रखते हुये विभाजन प्रस्ताव मय नक्शे के [illegible] करें। डिक्री पालनार्थ तहसीलदार सहाडा को जारी हो पत्रावली वास्ते विभाजन प्रस्ताव [illegible] होने दिनांक 22.10.2021 को पेश हो।

[illegible] आज दिनांक 27.08.2021 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेश सुवालका)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर 4.

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2021.11.22 12:30:52 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,गंगापुर जिला– भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी – राजेश सुवालका

मुकदमा संख्या :–102 / 2018 (2018 / 00472) दर्ज दिनांक 15.10.2020
अन्तर्गत धारा :–53 आर.टी.एक्ट

शीर्षक

...लुद्दीन वल्द नूर मोहम्मद मुसलमान निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
वादी

बनाम

1. गुलाब नबी वल्द गफुर अहमद मुसलमान निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. लाल मोहम्मद वल्द गफुर अहमद मुसलमान निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. श्रीमती महमूदा बानू पुत्री गफुर अहमद मुसलमान निवासी वार्ड नं0 06, रायपुर रोड़ गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. श्रीमती मरियम बानू पुत्री गफुर अहमद मुसलमान पत्नी मुनीर मोहम्मद मेवाती निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा हाल मुकाम डाणियों की कोटड़ी तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा।
5. श्रीमती जन्नत बानू पुत्री गफुर अहमद पत्नी सलीम मोहम्मद मुसलमान निवासी ...तर मजरा बड़ी सादड़ी तहसील सादड़ी जिला चितौड़गढ़
6. श्रीमती संजिदा बानू पुत्री गफुर अहमद पत्नि जाकिर हुसैन मुसलमान निवासी गंगापुर तसहील सहाड़ा हाल मुकाम डाणियों की कोटड़ी तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा।
7. लियाकत अली वल्द सत्तार मोहम्मद मुसलमान निवासी वार्ड नं0 15, गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
8. बशीर मोहम्मद वल्द सत्तार मोहम्मद मुसलमान निवासी निवासी वार्ड नं0 15, गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
9. श्रीमती ताहिरा बेगम पुत्री सत्तार मोहम्मद मुसलमान पत्नि अहमद मुसलमान निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा हाल मुकाम दड़ोली तहसील डबोक जिला उदयपुर
10. श्रीमती हसीना बेगम पुत्री सत्तार मोहम्मद पत्नि रफीक मोहम्मद मुसलमान निवासी वार्ड नं0 15 गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा हाल मुकाम बिगोद तहसील जिला भीलवाड़ा।
11. श्रीमती आमना बेगम पुत्री सत्तार मोहम्मद मुसलमान पत्नि मोहिनुदीन मुसलमान निवासी करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।
12. श्रीमती सरीफन बेगम पत्नी सत्तार मोहम्मद मुसलमान निवासी वार्ड नं0 15, गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाड़ा।
–प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2021.11.22 12:30:52 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितिः–
अभिभाषक वादीः– श्री जगदीश चन्द्र व्यास
प्रतिवादीगण सं0 01, 02, 07 व ...यत 12 :– श्री यासीन मोहम्मद पठान
प्रतिवादी संख्या 03,04, 06:– श्री एम0एस0चुण्डावत
प्रतिवादी संख्या 05:– अनुपस्थित
पेरोकार सरकार

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
...जिला भीलवाड़ा (राज.)

:: निर्णय ::

दिनांक 27.08.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अदालत हाजा व बहाजरी [illegible]ता वादी श्री जगदीश चन्द्र व्यास अधिवक्ता प्रतिवादीगण श्री यासीन मो0 पठान एवं [illegible] चुण्डावत, मिनजानिब मुदई व पेरोकार सरकार मिनजानिब मुदायला पेश होकर [illegible] दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आरटीए का स्वीकार किया जाकर [illegible] डिक्री बहकवादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय से जारी की जाती है कि ग्राम [illegible] पटवार हल्का गंगापुर तहसील सहाड़ा मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक लगायत [illegible] की संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 [illegible] संख्या 140 में अंकित आराजी संख्या 690 रकबा 0.37 हे0, 692 रकबा 0.45 हे0, 700 [illegible] 0.40 हे0, 702 रकबा 0.40 हे0, 703 रकबा 0.46 हे0, 704 रकबा 1.41 हे0 कुल [illegible] 6 कुल रकबा 4.19 हे0 भूमि का मौके पर कब्जे व हिस्से अनुसार विधिवत रूप से [illegible] करवाया जाकर वादी के निहित 1/3 हिस्से का प्रतिवादीगण संख्या 3,4,6 के [illegible] 3 हिस्से मृतक खातेदार रजाक मोहम्मद के वारिसान होने से प्रतिवादीगण संख्या 1 से [illegible] है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से 1/9 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण [illegible] 7 लगायत 12 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से स्वतंत्र राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड में [illegible] जाने की विभाजन की अज्ञाप्ति बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण का स्वतंत्र कब्जा [illegible] जाकर उसका राजस्व खाता राजस्व रेकार्ड में अलग से नवीन जमाबंदी अनुसार [illegible] करते हुये कब्जे एवं हिस्से को ध्यान में रखते हुये विभाजन प्रस्ताव मय नक्शे के [illegible] करें।

[illegible] ×××× मुबलिग×××× बाबत××××खर्चा इस मुकदमें में मय सूद शरह×××× [illegible] सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक×××× अदा करे।

[illegible] मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27.08.2021 को प्राथमिक डिक्री [illegible] की गई।

(राजेश सुवालका)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर2.

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2021.11.22 12:30:52 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]कार पत्र देने वाले को स्वयं मैं पहचानता अथवा
अधिकार पत्र देने वाला/वाले वे ही व्यक्ति है जिसके
[illegible] कर लिया है।